# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

## अनुमति वाद संख्या :– 308/2018–19

**(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)**

**चमर मुंडा – विक्रेता**

**बहालेन होरो – क्रेता**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 11.06.19 | **आदेश** | |

आवेदक चमर मुंडा पिता स्व0 खड़िया मुण्डा उर्फ करिया मुंडा ग्राम एरेंडा, पोस्ट–बिरहू, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने बहालेन होरो पति श्री अजय होरो ग्राम एरेंडा, पोस्ट–बिरहू, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

| ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| एरेंडा | 240 | 36 | 16 | 0.16 |

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0633181808 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 426 दिनांक 04.06.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम गुड़रा मुन्डारी वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार नारदे मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 1. 80 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 0.90 एकड़ भूमि के अलावा अन्य खाता से रकबा 8.85 एकड़ कुल रकबा 9.75 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 32652.00(बत्तीस हजार छः सौ बावन)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 9.59 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण चमर मुंडा पिता स्व0 खड़िया मुण्डा उर्फ करिया मुंडा को बहालेन होरो पति श्री अजय होरो के साथ ग्राम एरेंडा के खाता सं0 36 खेसरा संख्या 16 का रकबा 0.16 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 32652.00(बत्तीस हजार छः सौ बावन)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

11/06/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

11/06/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।